तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म का मिसल में जाने
8-11-21	A-18- उप०/ गैरसायल मय वकील उप०/ अभिभाषक उभय पक्षकारान के पक्ष सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। यह सही है कि गैरसायल को धारा 13 आर.पी.जी. एक्ट के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा तीन बार अपने विभिन्न दिनांक 16-6-15, 13-1-16 एवं 18-5-2016 के आदेशों से दण्डित किया जा चुका है। वादाधिकारी प्रथम से गैरसायल के चाल-चलन के संबंध में रिपोर्ट चाही जाने पर वादाधिकारी प्रथम ने अपनी रिपोर्ट में प्रकाश है कि उम्र व्यक्ति काफी समय से शांत है एवं मेहनत मजदूरी करता है। गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत अभिलेख अनुसार औसत बार मुकदमा दिनांक 22-4-16 को दर्ज किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका है। उसके पश्चात गैरसायल के विरुद्ध कोई प्रकरण राजस्थान गुण नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) में उल्लेखित अधिनियम/अध्यादेश के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर गैरसायल को रोका नहीं गया है। इस कार्य सादृश्य/अभिलेख प्रमाणों पर नहीं। वादाधिकारी प्रथम ने भी अपनी रिपोर्ट में गैरसायल का चाल-चलन ठीक पाया है। अतः प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल	इरी सिंह